

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100846

दिनांक: 17/07/2026

लोक सूचना

श्री **ARYAN KHANDELWAL THROUGH POA ALOK KUMAR GUPTA SON OF NATHU LAL GUPTA**
पुत्र श्री **ALOK KUMAR GUPTA** जाति **MAHAJAN** निवासी **S- 55 ADINATH NAGAR ,J.L.N. MARG**
JAIPUR

श्री **RAJ KUMAR KHANDELWAL** पुत्र श्री **SATAYANARAYAN KHANDELWAL** जाति **MAHAJAN**
निवासी **E-24 MADHU BAN COLONY , TONK PHATAK JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	रामचन्द्रपुरा, साँगानेर (जयपुर)	2.) राजकुमार पुत्र सत्यनारायण खण्डेलवाल हिस्सा 2 / 5 जाति महाजन नि.ई 24 मधुवन कोलोनी टोंक फाटक जयपुर खातेदार 1.) आर्यन खंडेलवाल पुत्र आलोक कुमार गुप्ता हिस्सा 3 / 5 जाति महाजन नि. एस 55 आदिनाथ नगर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर खातेदार	1062	0.52	0.52
2.	रामचन्द्रपुरा, साँगानेर (जयपुर)	2.) राजकुमार पुत्र सत्यनारायण खण्डेलवाल हिस्सा 2 / 5 जाति महाजन नि.ई 24 मधुवन कोलोनी टोंक फाटक जयपुर खातेदार 1.) आर्यन खंडेलवाल पुत्र आलोक कुमार गुप्ता हिस्सा 3 / 5 जाति महाजन नि. एस 55	1247/1063	0.2	0.2

		आदिनाथ नगर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर खातेदार			
कुल					0.72

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **17-07-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & MAHANAGAR TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

